



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक 1947 (श10)

(सं0 पटना 1693) पटना, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

22 अक्टूबर 2025

सं0सं0-05/स्था0-(DTO)-30/2013 (खंड-1) 8766/सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-18805, दिनांक 05.10.2025 द्वारा परिवहन विभाग के जिला परिवहन कार्यालय, जमुई में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी का नाम एवं जिला निम्नवत् है:-

1	श्री सुनील कुमार, 552/24, रोहतास	श्री कृष्णनंदन पासवान, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी)	जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई। (अपर समाहर्ता स्तर से उत्क्रमित)
---	-------------------------------------	--	--

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री कुमार को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, जमुई की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानंद रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1693-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>